कार्यालय प्रधानाचार्य स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कुशीनगर।

ई–मेल:asmckushinagar@gmail.com वेबसाइट: http://asmckushinagar.in

पत्रांकः ASMC/KSN/2025–26/130 दिनांकः 28/04/25

–: विज्ञापन :–

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय कुशीनगर में विभिन्न विशिष्टताओं/विभागों में संविदा के आधार पर आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर सेवायोजन हेतु विज्ञापन।

एन0एम0सी0/एम0सी0आई0 मानको के पूर्ति हेतु स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय कुशीनगर के विभिन्न विशिष्टताओं/विभागों में आचार्य, सह–आचार्य एवं सहायक आचार्य के सृजित पदों को संविदा का आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन पत्र एतद्द्वारा आमंत्रित किये जाते है। इन पदों पर चयन, चयन समिति के द्वारा के **प्रत्येक सप्ताह के बुद्धवार एवं शुक्रवार (अवकाश दिवस छोड़कर) को समय प्रातः 10:30 से अपरान्ह् 01:00 बजे तक वांक–इन–इण्टरव्यू** के माध्यम से किया जायेगा। नवीनतम एन0एम0सी0 मानको के अनुसार अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों की स्व–प्रमाणित छायाप्रति के दो सैट, बायोडाटा, एन0ओ0सी0(वर्तमान कार्यस्थल से), 2 पासपोर्ट फोटो एवं अपने समस्त मूल प्रमाण–पत्रों सहित, निर्धारित आवेदन पत्र **कार्यालय स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध जिला संयुक्त चिकित्सालय रविन्द्रनगर, कुशीनगर** के सभागार उपस्थित होगें। चिकित्सा शिक्षकों के पदों की रिक्तियाँ एवं नियुक्ति की शर्ते स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय कुशीनगर की वेबसाईट–**http://asmckushinagar.in** पर उपलब्ध है। रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है। **वांक–इन–इण्टरव्यू** में भाग लेने के लिये कोई यात्रा भत्ता और मंगाई भत्ता मान्य नहीं होगा।

S. N.	Name of Specialty	Professor		Associate Professor		Assistant Professor	
		No.of Posts	Category	No.of Posts	Category	No.of Posts	Category
1	Orthopedics	--	--	--	--	-- --	-- --
2	Ophthalmology	01	OBC	--	--	--	--
3	Obstetrics and Gynecology	--	--	--	--	-- --	-- --
4	Anatomy	--	--	--	--	-- --	-- --
5	Anesthesiology	--	--	-- 01	-- EWS	-- -- -- 01	-- -- -- OBC
6	Oto-rhino-Laryngology	--	--	01	SC	--	--
7	Community Medicine	--	--	-- 01	-- OBC	-- 01 --	-- EWS --
8	General Medicine	--	--	-- -- 01	-- -- UR	-- 01 -- --	-- UR -- --
9	General Surgery	--	--	-- -- 01	-- -- SC	01 -- -- --	UR -- -- --
10	Dermatology, Venereology and Leprosy	--	--	01	SC	--	--
11	Dentistry	--	--	--	--	--	--
12	Pediatrics	--	--	01	OBC	-- --	-- --

Scanned with OKEN Scanner

13	Pathology	01	OBC	01	UR	--	--
				01	UR	--	--
						01	OBC
14	Pharmacology	01	UR	01	SC	01	OBC
						--	--
15	Physiology	--	--	--	--	01	EWS
						--	--
16	Forensic Medicine	01	SC	--	--	01	UR
17	Biochemistry	--	--	01	OBC	--	--
						--	--
18	Microbiology	01	UR	--	--	01	SC
						--	--
19	Radiodiagnosis	--	--	01	OBC	--	--
20	Psychiatry	--	--	--	--	--	--
Total		05		12		09	

<u>उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण लागू हो जाने के कारण संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत् हैः–</u>

1. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले चिकित्सा शिक्षकों को शासनादेश संख्या–109/2024/176/71–1–1001/804/2020 चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 दिनांक 18 जुलाई 2024 के अनुसार नियत वेतन (आचार्य हेतु रू0 2,20,000.00, सह आचार्य हेतु रू0 1,60,000.00 तथा सहायक आचार्य हेतु रू0 1,20,000.00) प्रतिमाह देय होगा।
2. वेतन के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेश का अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते, बोनस एवं पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा।
3. चिकित्सा शिक्षकों की तैनाती अर्हता एंव शैक्षिक अनुभव उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली 2022–23 में निहित के अनुसार होगी। (Medical Council of india or National Medical Commission Minimum Qualification for Teacher in Medical Institution Regulation, 1998 or the recommendation of Councils prior to that, shall be protected.)
4. शासनादेश संख्या–562/71–1–2000–जी–63/2008 दिनांक 10.06.2020 के अनुसार चिकित्सा शिक्षकों की संविदा पर अधिकतम आयु सीमा सहायक आचार्य–60 वर्ष, सह आचार्य–64 वर्ष एवं आचर्या–68 वर्ष निर्धारित है। उक्त आयु वाले ही अभ्यर्थी अभ्यर्थन कर सकते है।
5. **आवेदन शुल्कः–** रू0 500.00 (रू0 पांच सौ मात्र) का आवेदन शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से "प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय कुशीनगर" के पक्ष में देय होगा।
6. संस्थान में प्रतिदिन निर्धारित कार्य अवधि(प्रातः 08:00 बजे से सायं 04.00 बजे तक) में प्राईवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
7. ओ0पी0डी0 (कॉल–डे) के दिन संविदा चिकित्सा शिक्षक प्राईवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगें।
8. संविदा चिकित्सा शिक्षकों को प्राईवेट प्रैक्टिस करने का स्थान प्रधानाचार्य को सूचित करना होगा।
9. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्व चिकित्सालय में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिये हमेशा ड्यूटी पर उपलब्ध रहना होगा।
10. ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल 01 वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात् नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर सेवाकाल पुनः साक्षात्कार के उपरान्त बढ़ाया जा सकेगा।
11. चिकित्सा शिक्षक किसी प्रकार की पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नही होगें। उसे ऐसे कालावधि के लिये कोई बोनस देय नही होगा।
12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें नियमित नियुक्ति के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संजोषजनक न पाये जाने पर एक माह के नोटिस देकर भी सेवायें समाप्त की जा सकती है।
13. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त कालावधि में कार्यभार न ग्रहण करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी।
14. संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षक भविष्य में विनियमितिकरण अथवा स्थायीकरण के लिये हकदार नहीं होगा।

Scanned with OKEN Scanner

15. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ–पत्र प्रस्तुत करेंगें कि "उनके विरूद्व माननीय न्यायालय में कोई आपराधिक बाद प्रचलित नहीं है और यदि उनके विरूद्व कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
16. कार्यभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ–पत्र प्रस्तुत करेंगें कि वे अन्यत्र कार्यरत नहीं है।
17. नियमानुसार आरक्षण लागू होगा एवं समय–समय पर आरक्षण हेतु जारी शासनादेश का अनुपालन किया जायेगा। आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी न मिलने की दशा में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को संविदा पर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी मिलने तक नियुक्त किया जा सकता है।
18. साक्षात्कार के समय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से ज्यादा और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण–पत्र 6 माह से ज्यादा का मान्य नहीं होगा। उपरोक्त प्रमाण–पत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त पर ही मान्य होगा।
19. पदो की संख्या घट बढ़ सकती है।
20. उत्तर प्रदेश से बाहर अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा।

प्रधानाचार्य
स्वशासी राजय चिकित्सा महाविद्यालय
कुशीनगर।

पत्रांकः ASMC/KSN/2025–26/130 तददिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण जवाहर भवन छॅठा तल उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रषित कि उक्त विज्ञापन को महानिदेशक, की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
03. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध जिला संयुक्त चिकित्सालय कुशीनगर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

प्रधानाचार्य
स्वशासी राजय चिकित्सा महाविद्यालय
कुशीनगर।

Scanned with OKEN Scanner